:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/474/री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आदेश ::

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन-2019 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है । लोक सभा निर्वाचन-2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाना है ।

राजनैतिक दलों तथा लोक सभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के वायुयान/हेलीकाप्टर नियमित एरोड्रम पर उतारने हेतु कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती है तथा एरोड्रम से सभा स्थलों की दूरी ज्यादा होने से आने-जाने में काफी समय नष्ट होता है ।

लोक सभा निर्वाचन-2019 निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु तथा उक्त स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुवे, इन्दौर जिले में उपलब्ध स्थाई एवं अस्थाई हेलीपेड हेतु स्थलों का विवरण निम्नानुसार है, जहां अनुमति प्राप्त कर हेलीकाप्टर उतारे जा सकते है :-

स्थाई हेलीपेड

1. पी.टी.सी. ग्राउण्ड, इन्दौर

अस्थाई हेलीपेड

1. (माचल)बेठ्मा, तह0 देपालपुर.
2. ग्राम हातोद, तह0 हातोद.
3. देपालपुर, तह0 देपालपुर.
4. गौतमपुरा, तह0 देपालपुर.
5. सांवेर, तह0 सांवेर.
6. क्षिप्रा, तह0 सांवेर.
7. डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)उप जेल, तह0 डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू).
8. मानपुर(खुर्दा) चर्च के पास, तह0 महू.
9. ग्राम खुड़ैल, तह0 खुड़ैल.
10. राजधरा(केवड़ेश्वर) ग्राम उज्जैनी गाँव, तह0 कम्पेल.

इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों हेतु भी प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा सकेंगी ।

District Magistrate
District Indore (M. P.)

इन्दौर जिले के लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों के हेलीकाप्टर उतारने हेतु उपरोक्त स्थलों की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निम्न शर्तो पर प्रदान की जावेंगी :-

1. राजनैतिक दल/अभ्यर्थी अपने स्टार प्रचारक का नाम उनके आने का दिनांक, सभा का स्थल एवं आने-जाने का समय सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम सहित, सभा दिनांक से 04 दिवस के भीतर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को भी देना होगी ।
2. उक्त स्थलों पर अस्थाई हेलीपेड/बेरिकेटिंग आदि का निर्माण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जावेंगा, स्थाई हेलीपेड पर सिंगल लेंडिंग ऑपरेशन ऑफ हेलीकाप्टर हेतु अभ्यर्थी को

रूपये 4000/-(चार हजार रूपये) के मान से तथा अस्थाई हेलीपेड हेतु अभ्यर्थी को रूपये 10000/- (दस हजार रूपये) बतौर शुल्क(प्रत्येक बार हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति पर) लोक निर्माण विभाग कार्यालय में कराना होगा, जो अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में शामिल करना होगा ।

3. अभ्यर्थी को स्थल पर आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा ।
4. यह अनुमति पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर सभा दिनांक से 48 घंटे पूर्व ही जारी की जावेंगी ।

(लोकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक/ 475 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
7. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
8. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
9. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
10. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर प्रेषित । उक्त आदेश की प्रति सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पृथक से उपलब्ध करावें ।
11. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/ कम्पेल/ डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
13. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर ।
14. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
16. कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0, संभाग क्र0-1/2, इन्दौर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

12/3

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M. P.)